5/4/23

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। वकील वादी ने आवेदन 1 नि० 10 CPC की नकल दी। पत्रावली वास्ते जवाब आवेदन 1 नि० 10 CPC हेतु दि० 19/4/2023 को पेश हो।

19/4/23

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/[illegible] हाजिर पीठासीन अधिकारी [illegible]/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 31/5/23 को पेश हो।

25/4/23

पत्रा० आज दिनांक तारीख से पूर्व राज्य सरकार के मंहगाई राहत कैम्प-2023 के दौरान कैम्प ग्राम कोलिड़ा में पेश हुई।

कैम्प के दौरान पक्षकारान के वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। वकील प्रति० सं० 1 के वकील ने बहस के दौरान भूमि ख०न० 2632/2426 में रास्ता औ० मु० अंकित करने पर खरीददार को कोई आपत्ति नहीं होना बताया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर है कि वाद ग्रस्त भूमि ख०न० 2632/2426 रकबा 0.0200 है० वाके ग्राम कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर की तन में अवस्थित है। उक्त भूमि पर वादी एवं प्रति० सं० 1 का 1/2 हक हिस्सा रिकार्डेड है जो कि राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दियों में अंकित है। वादी एवं प्रतिवादी द्वारा आपसी विभाजन के दौरान रास्ते के उपयोग उपभोग हेतु काम में लेने हेतु सहमति

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

से रखा गया, जो वर्तमान में रास्ते के काम ली जा रही है तथा रास्ता चालू है तथा वादी द्वारा रास्ता बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 188 राज० काश्त० अधिनियम 1955 पेश कर वाद स्वीकार कर भूमि ख०नं० 2632/2426 रकबा 0.0200 है० वाके ग्राम कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर पर पत्थरगढ़ी करते मय पुलिस जाप्ता आदेशित किया जावे कि रास्ते को अवरुद्ध नहीं करे तथा उक्त रास्ते को गै० मु० रास्ते में अंकन किया जाने का आदेश पारित कर प्रति० सं०1 द्वारा रास्ते की भूमि की नींव सीव को नष्ट करने से रोका जाकर उसे प्रतिबंधित करने हेतु निवेदन किया है। चूंकि बहस के दौरान वकील प्रति० सं०1 द्वारा किये गए विक्रय पत्र का नामान्तरण किये जाने के बाद भूमि ख०नं० 2632/2426 में रास्ता गै० मु० अंकित करने पर खरीददार को कोई आपत्ति नहीं होना बताया है, इसलिए विवादित विवादित ख०नं० 2632/2426 रकबा 0.0200 है० वाके ग्राम कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर में पक्षकारान के मध्य मुताबिक मौखिक राजीनामा अनुसार गै० मु० रास्ता दर्ज करने हेतु तहसीलदार, सीकर को आदेश दिया जाना न्यायालय उचित समझता है।

भूमि ख०नं० 2632/2426 में रास्ता गै० मु० अंकित करने पर खरीददार को कोई आपत्ति नहीं है
(विरेन्द्र कुमार पालोड़) एड०

fm [illegible]
(वादी वकील)

fm प्रतिवादी-1
Adv.
(Dinanath)

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर
सत्यमेव जयते

…क कलक्टर (द्वितीय) सीकर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि बहस के दौरान पक्षकारान के मध्य हुए मौखिक राजीनामा अनुसार प्रति० सं० 1 के द्वारा किये गये रजि० विक्रय पत्र का नामान्तरण

खुलने के पश्चात ख० नं० 2632/2526 रकबा 0.0200 है० वाके ग्राम कोलिड़ा तहसील व जिला सीकर को मुताबिक मौखिक राजीनामा गै० मु० रास्ता दर्ज करने के लिए तहसीलदार, सीकर को आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर,